P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-8* (Part-1) November- 2018
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

स्वतंत्रता की अवधारणा (भारत के विशेष सन्दर्भ में एक संक्षिप्त अध्ययन)

इरसाद अली खाँ
सह आचार्य,
राजनीति विज्ञान,
राजकीय बाँगड़ पी0 जी0 कालेज, डीडवाना,
राजस्थान

सारांश

सीले के अनुसार ''राजनीति शास्त्र के अभाव में इतिहास फलहीन है और इतिहास के अभाव में राजनीति शास्त्र आधारहीन है।'' इतिहास और राजनीति विज्ञान दोनों एक–दूसरे पर निर्भर है। दोनों एक–दूसरे के पूरक है। भारतीय संविधान के इतिहास का अध्ययन तब तक अधूरा है जब तक 1909, 1919 और 1935 के अधिनियमों का अध्ययन न किया जाए। भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलनों में 1857 की क्रांति के साथ ही कॉंग्रेस, उदारवादी (गोखले, रानाडे), उग्रवादी (बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चन्द पाल) क्रांतिकारी (शहीद भगत सिंह, असफाक उल्ला खान, चन्द्रशेखर आजाद), गांधीवादी (महात्मा गांधी, नेहरू इत्यादि) का अध्ययन हम इतिहास के माध्यम से करते हैं।

मुख्य शब्द : राष्ट्रीय स्वतंत्रता, उदारवादी, उग्रवादी, क्रांतिकारी, भ्रातृत्व, निर्बाध, स्व–विषयक, पर–विषयक, उन्माद, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, स्वेच्छाचारिता, आधिपत्य, संरक्षण, विशेषाधिकार, ठकोसला, अराजकतावादी, व्यक्तिवादी, साम्यवादी इत्यादि।

प्रस्तावना

मानव जीवन का एक विशेष गुण है– स्वतंत्रता। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए मानव सर्वदा संघर्षशील रहा हैं। सुकरात और प्लेटो बौद्धिक व अन्तः करण की स्वतन्त्रता की मांग की तो स्टॉइक व एपिक्यूरियस मानव को आध्यात्मिक व भौतिक क्षेत्रों में स्वतन्त्र देने की कोशिश की तथा पुर्नजागरण और सुधार आन्दोलनों में मानव की व्यक्तिगत स्वतंत्रता देने की चेष्टा हुई। स्वतन्त्रता को प्राप्त करने के लिए मानव ने अन्याय, अत्याचार व उत्पीड़न के विरूद्व सदैव संघर्षशील रहे। इंगलैण्ड के निवासियों ने स्टुअर्ट वंश की निरंकुशता के विरूद्व विद्रोह किया तो अमेरिकीवासियों ने जार्ज तृतीय के शासन के विरूद्व संघर्ष किया। प्रथम व द्वितीय विश्व युद्व प्रजातंत्र की सुरक्षा के लिए लड़ा गया। इसी प्रकार से एशिया व अफ्रीका के राष्ट्रीय आन्दोलनों के पीछे राष्ट्रीय स्वतंत्रता को प्राप्त करना रहा। फ्रांसीसी क्रान्ति में स्वतन्त्रता, समानता और भ्रातृत्व के लिए लड़ा गया। भारत में भी स्वतन्त्रता आन्दोलन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि ''स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा।'' अंततः सभी के प्रयासों से भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली।

अध्ययन का उद्देश्य

हम भारत के नागरिक है, अतः भारतीय स्वतंत्रता का अध्ययन करना अति आवश्यक है क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक पंथनिरपेक्ष समाजवादी राज्य हैं। इस शोधपत्र में भारतीय स्वतंत्रता के उद्देश्य निम्नप्रकार से इंगित किये जायेंगे–

1. स्वतंत्रता का अभिप्राय, संरक्षण एवं दशाएं ज्ञात करना।
2. भारतीय संविधान का संक्षिप्त अध्ययन करते हुये स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेदों की व्याख्या करना।
3. 21वीं शताब्दी में बदलती हुई स्वतंत्रता के मायनों को ज्ञात करना।
4. विश्व के अन्य देशों से भारतीय स्वतंत्रता की तुलना करना।
5. स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता के समक्ष आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना एवं धर्म एवं जाति के आधार पर बढ़ती हिंसाओं का आकलन करना।
6. स्वतन्त्रता को बरकरार रखने एवं क्रांति की संभावना को खत्म करने के उपाय सुझाना।
7. सभी प्रकार की स्वतंत्रता की आलोचनात्मक विवेचना करना।
8. स्वतंत्रता पश्चात भारत ने क्या खोया ? क्या पाया ? का अध्ययन करना।

साहित्यावलोकन

शिवादास राघव ने अपनी पुस्तक फेलियर टू मिलिनियर में स्टार्टअप व अनुत्तीर्ण के सन्दर्भ में बताया है (सेज पब्लिशिंग 2015 रूपये 395)। फीलिप कोटलर ने अपनी पुस्तक डेमोक्रेसी इन डीक्लाइन (सेज पब्लिशिंग 2017 कुल पृष्ठ 252 मूल्य 595/–) में बताया कि लोकतंत्र में राजनीति में रूपयों का महत्व बढ़ गया, जिसमें अरबपति व उद्योगपति के सहयोग से राजनीतिक पार्टियां अपना फंड इकट्ठा करती है ये केवल 1 प्रतिशत व्यक्ति हैं जो पूरे लोकतंत्र पर भारी पड़ रहे हैं। पंडित सुन्दरलाल की पुस्तक "How India Lost her freedom" (पॉपूलर प्रकाशन, 2018 कुल पृष्ठ 536, 350रू.) में ब्रिटिश राज के आने से लेकर आज तक भारत में ब्रिटिश कानूनों का प्रभावों की व्याख्या की गई है। इसके अलावा इस शोध पत्र में स्वतंत्रता एवं स्वतंत्र भारत में आयी नवीन चुनौतियों की व्याख्या करने का प्रयास किया गया है।

शोध पद्धति

इस शोध पत्र में स्वतंत्रता के अभिप्राय, प्रकार, पक्ष, स्वतंत्रता के संरक्षण एवं दशाएँ का उल्लेख किया गया है। इस शोध पत्र में द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से लिखित पुस्तकों और लेखों एवं अनुभव के आधार पर तथ्यात्मक रिपोर्ट से प्राप्त सामग्री से एक संक्षिप्त व्यक्तिवृत (Cash Study) अध्ययन के तहत एक देश विशेष (भारत) का अध्ययन कर निष्कर्ष निकाल कर सुझाव देने का प्रयास किया गया है और स्वतंत्रता एवं स्वतंत्र भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण किया गया हैं।

स्वतंत्रता का महत्व

स्वतंत्रता के महत्व के संबंध में अनेक विद्वानों ने अपने–अपने विचार व्यक्त किये है जो निम्नानुसार है जैसे बट्रैण्ड रसेल के अनुसार '' स्वतंत्रता की इच्छा व्यक्ति की एक स्वाभाविक प्रवृति है और इसी के आधार पर सामाजिक जीवन का निर्माण सम्भव है। '' प्रसिद्ध विधिवेता पालकीवाला के शब्दों में ''मनुष्य सदा ही स्वतन्त्रता की बलिबेदी पर सर्वाधिक बहुमूल्य बलिदान देते रहे है।'' संक्षेप में, स्वतंत्रता आदि मानव जाति का अन्तिम लक्ष्य नहीं, तो सदा ही उसकी प्रेरणा का अन्तिम स्रोतों रही है। डॉ. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी के अनुसार '' आदर्श दृष्टिकोण से मनुष्य की स्वतंत्रता की खोज मानव इतिहास की केन्द्रीय धारा और मनुष्य मात्र की सर्वश्रेष्ठ आकांक्षा रही है।'' मैजिनी के अनुसार ''स्वतंत्रता के अभाव में आज अपना कोई कर्तव्य पूरा नहीं कर सकते हैं। अत एव आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है और जो भी शक्ति आपको इस अधिकार से वंचित रखना चाहती है, उससे जैसे भी बने, अपनी स्वतंत्रता छीन लेना आपका कर्त्तव्य है।''

स्वतन्त्रता के विविध अर्थ, प्रकृति एवं परिभाषा

स्वतंत्रता शब्द अंग्रेजी के लिबर्टी शब्द के लिए प्रयुक्त होता है जो लेटिन भाषा के लिबर से निकला है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ''बन्धनों का अभाव''। स्वतन्त्रता को कुछ विचारक साध्य मानते हैं तो कुछ साधन। कुछ विचारक इसे प्रतिबन्ध, दासता या निरंकुशता से मुक्ति मानते हैं तो कुछ विचारक इसे किसी कार्य को करने की स्वतन्त्रता में लेते हैं। रिची के अनुसार – '' जीवन के अधिकार के बाद साधारणतया स्वतन्त्रता के अधिकार का नाम लिया जाता है और बहुत से व्यक्तियों के लिए यह प्राथमिक और सबसे अधिक आवश्यक अधिकार है।''

स्वतंत्रता के दो पक्ष है– (1) नकारात्मक स्वतंत्रता और (2) सकारात्मक स्वतंत्रता

स्वतन्त्रता का नकारात्मक अर्थ

लिबर्टी शब्द की उत्पति लैटिन भाषा के लिबर शब्द से हुई है जिसका अर्थ है– बन्धनहीनता या मर्यादाओं का अभाव अर्थात् हाब्स के अनुसार स्वतन्त्रता का अर्थ ''बन्धनों के अभाव से है।'' रूसो के अनुसार – ''व्यक्ति स्वतन्त्र पैदा होता है परन्तु वह सर्वत्र जंजीरों (बन्धनों) में जकड़ा रहता हैं।'' यह नकारात्मक स्वतंत्रता को अभिव्यक्त करता है। स्वतंत्रता व्यक्ति की अपनी इच्छानुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है, बशर्ते कि इनसे दूसरे व्यक्ति की किसी प्रकार की स्वतंत्रता में कोई बाधा न पहुंचे। 1798 की मानवीय अधिकार घोषणा में यही कहा गया है कि ''स्वतंत्रता वह सब कुछ करने की शक्ति का नाम है, जिसमें दूसरे व्यक्तियों को आघात न पहुंचे।'' सीले के अनुसार ''स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है।'' प्रो. लॉस्की के अनुसार ''स्वतंत्रता से मेरा अभिप्राय यह है कि उन सामाजिक परिस्थितियों के अस्तित्व पर प्रतिबन्ध न हो, जो आधुनिक सभ्यता में मनुष्य के सुख के लिए नितांत आवश्यक है।'' मैकेंजी के अनुसार –''स्वतंत्रता सभी प्रकार के प्रतिबन्धों का अभाव नहीं अपितु अनुचित प्रतिबन्धों के स्थान पर उचित प्रतिबन्धों की व्यवस्था है।''

स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण को संक्षेप में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है–

1. प्रतिबन्धों का अभाव ही स्वतंत्रता है।
2. राज्य का क्षेत्र बढ़ने से व्यक्ति की स्वतंत्रता मर्यादित होती है।
3. कम से कम शासन करने वाली सरकार सर्वोत्तम है।
4. विकास के लिए खुली प्रतियोगिता का सिद्धान्त उत्तम है।
5. सरकार द्वारा प्रायोजित संरक्षण की व्यवस्था अनुपयुक्त है।

किंतु स्वतंत्रता का यह अर्थ भ्रमात्मक है। इस प्रकार की स्वतंत्रता रॉबिन्स क्रूसों जैसे व्यक्ति को ही मिल सकती है, जो एक निर्जन स्थान पर अपने साथी फ्रायड के साथ एकाकी जीवन व्यतीत कर रहा था। सभ्य समाज में ऐसी स्वतंत्रता सम्भव नहीं है। बंधनों के पूर्ण अभाव में स्वतंत्रता स्वेच्छाचारिता या उच्छृंखला में बदल जाएगी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए मनुष्य असीमित स्वतंत्रता का उपभोग कर ही नहीं सकता अर्थात् सभ्यता के विकास के साथ–साथ उसकी स्वतंत्रता का ह्रास होता जाता है जैसे भारत में निजता के अधिकार, आधार का लिंक करना इत्यादि। मिल मानव के कार्यों को दो भागों में बांटता है स्व–विषयक एवं पर–विषयक कार्य। जिन विचारकों ने प्रतिबन्धों के अभाव को स्वतन्त्रता माना, उनके लिए स्वतन्त्रता की नकारात्मक अवधारणा परिलक्षित होती है।

स्वतन्त्रता का सकारात्मक अर्थ

स्वतंत्रता के सकारात्मक अर्थ को निम्न विचारक इस प्रकार से व्यक्त करते है जैसे गैटल के अनुसार – स्वतंत्रता का समाज में केवल नकारात्मक ही नहीं है, वरन् सकारात्मक स्वरूप भी है।'' हर्बर्ट स्पेन्सर के अनुसार '' प्रत्येक मनुष्य वह करने को स्वतंत्र है जो वह करना चाहे। बशर्ते वह किसी अन्य मनुष्य की समान स्वतंत्रता का हनन न करे।'' ग्रीन के अनुसार'' स्वतंत्रता उन कार्यों को करने अथवा उन वस्तुओं का उपभोग करने की शक्ति है, जो करने अथवा उपभोग करने योग्य है।'' लॉस्की के अनुसार '' स्वतंत्रता उस वातावरण को बनाएं रखता है जिसमें व्यक्ति को अपने जीवन का सर्वोत्तम विकास करने की सुविधा प्राप्त हो।'' लास्की ने जनसाधारण के लिए स्वतन्त्रता को पूर्ण बनाने की कतिपय शर्तों का उल्लेख किया [1]–

1. राज्य में सभी लोगों की स्वतन्त्रता के लिए यह आवश्यक है किसी भी व्यक्ति अथवा समूह को विशेषाधिकार प्राप्त न हो। राज्य में सभी नागरिकों को विकास के समान अवसर प्राप्त होने चाहिये। इस प्रकार के समान अवसरों की अनुपस्थिति संबंधित नागरिकों से कुण्ठा व हीनता की भावना को जन्म देती है।
2. यदि कुछ नागरिकों के अधिकार अन्य नागरिकों की इच्छा पर निर्भर करते हैं तो भी उस व्यवस्था में सब लोगों को स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं होती है।
3. राज्य द्वारा शक्ति का प्रयोग पूर्णतया निष्पक्ष रूप से होना चाहिये अथवा राज्य द्वारा शक्ति का प्रयोग पक्षपात पूर्ण ढंग से नहीं होना चाहिए।

स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष को संक्षेप में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है–

i. स्वतंत्रता को वास्तविक बनाने के लिए इस पर उचित प्रतिबन्ध आवश्यक है।
ii. समाज एवं व्यक्ति के हितों में कोई विरोध नहीं है।
iii. राजनीतिक व नागरिक स्वतंत्रता का मूल्य आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में निरर्थक है।

नकारात्मक स्वतन्त्रता के तहत स्वतन्त्रता की निर्बाध या अनियन्त्रित रूप से स्वीकार करना व अराजकता को जन्म देना है। नकारात्मक स्वतन्त्रता को भ्रामक बताते हुए सकारात्मक स्वतन्त्रता के सामाजिक पहलू पर बल देते है। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के अनुसार ''स्वतन्त्रता प्रत्येक कार्य को करने की शक्ति है, जो किसी दूसरे को हानि नही पहुँचाती।'' संक्षेप में जब तक समाज में समान सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियां विद्यमान नहीं होगी, सब नागरिक समान रूप से स्वतन्त्रता का उपयोग करने की क्षमता में नहीं होंगे। स्वतन्त्रता का सकारात्मक स्वरूप ही उसके सही अर्थ की अभिव्यक्त करता है। स्वतंत्रता के इस नकारात्मक और सकारात्मक रूप को दृष्टि में रखते हुए स्वतंत्रता के दो तत्व कहे जा सकते है–

न्यूनतम प्रतिबन्ध

स्वतंत्रता का प्रथम तत्व यह है कि व्यक्ति के जीवन पर शासन और समाज के दूसरे तत्वों की और से न्यूनतम प्रतिबन्ध होने चाहिए। जिससे व्यक्ति अपने विचार और कार्य व्यवहार में अधिकाधिक स्वतंत्रता का उपभोग कर सके।

व्यक्तित्व के विकास हेतु सुविधाएं

स्वतंत्रता का दूसरा तत्व यह है कि समाज और राज्य द्वारा व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के विकास हेतु अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

अतः स्वतंत्रता को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि ''स्वतंत्रता जीवन की ऐसी अवस्था का नाम है। जिसमें व्यक्ति के जीवन पर न्यूनतम प्रतिबन्ध हों और व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु अधिकतम सुविधाएं प्राप्त हों।

स्वतंत्रता का मानववादी दृष्टिकोण

स्वतंत्रता की परम्परागत या उदारवादी धारणा में नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता को बहुत महत्व दिया गया है, लेकिन मानववादी धारणा स्वतंत्रता की व्याख्या को स्वीकार करती है–

1. स्वतंत्रता की बुर्जुआ धारणा में अविश्वास,
2. आर्थिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता,
3. उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण या समाजीकरण ही स्वतंत्रता का सार है,
4. शासन पर साम्यवादी दल का एकाधिकार स्वतंत्रता के हित में है,
5. समाजवाद के विरोधियों को राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त होना सम्भव नहीं,
6. न्यायपालिका की स्वतंत्रता में विश्वास नहीं ,
7. पूर्ण स्वतंत्रता तो राज्यविहीन समाज में ही सम्भव है।

स्वतंत्रता के संबंध में प्रतिपादित मार्क्सवादी दृष्टिकोण एकांगी ही है। व्यवहार के अन्तर्गत समाजवादी राज्यों में नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रताओं को बहुत अधिक सीमित कर दिया गया है। समाजवादी राज्यों को स्वतंत्रता की दृष्टि से आदर्श स्थिति नहीं कहा जा सकता।

स्वतंत्रता के प्रकार

फ्रांसीसी विद्वान माण्टेस्क्यू ने कहा कि ''स्वतंत्रता के अतिरिक्त शायद ही कोई ऐसा शब्द हो , जिसके इतने अधिक अर्थ होते हों और जिसने नागरिकों के मस्तिष्क पर इतना प्रभाव डाला हो।'' स्वतंत्रता का अर्थ एवं परिभाषाओं को जानने के पश्चात् इसके विभिन्न प्रकारों को ज्ञात कर सकते हैं जैसे–

प्राकृतिक स्वतंत्रता

स्वतंत्रता प्राकृति की देन है। रूसो के अनुसार –''मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है, किन्तु सर्वत्र वह बन्धनों में बंधा हुआ है।'' प्राकृतिक स्वतंत्रता की धारणा जंगली जीवन की स्वतंत्रता का ही दूसरा नाम है। प्राकृतिक अवस्था से तात्पर्य है कि मनुष्य सदा से स्वतंत्रता का पुजारी रहा है। वह स्वभाव से स्वतंत्रता प्रिय है। स्वतंत्रता स्वाभाविक है और यह राज्य की देन नहीं है। स्वतंत्रता इस अर्थ में प्राकृतिक है कि मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास तथा सामाजिक कल्याण के लिए वह वांछनीय है। ग्रीन, लास्की और रिची आदि विद्वानों ने इसी अर्थ में प्राकृतिक स्वतंत्रता का समर्थन किया है। मानव को राज्य के अभाव में या राज्य से पूर्व भी यह अधिकार प्राप्त थे। इस कारण इसको प्रकृति की स्वतंत्रता कहा जाता है।

लॉक ने लिखा कि ''मानवीय अन्तःप्रेरणाओं में आत्मरक्षा की प्रवृति सर्वोत्तम प्रवृति है और जो कुछ भी उसकी सुरक्षा के लिए बुद्विसंगत है वह प्राकृतिक कानूनों के अनुसार उसका विशेषाधिकार है।'' ''लॉक के अनुसार ''व्यक्तियों के समाज में प्रवेश करने के कारण ही अपनी सम्पति की रक्षा करना है।

नागरिक स्वतंत्रता

जो स्वतंत्रता मानव को राज्य की नागरिक होने के कारण प्राप्त होती है वह नागरिक स्वतंत्रता कहलाती है। गेटले के अनुसार '' नागरिक स्वतंत्रता उन अधिकारों और विशेषाधिकारों को कहते है। जिनको राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है और उनकी रक्षा करता है।'' नागरिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में जीवन की सुरक्षा, स्वामित्व, कानून के सम्मुख समता, जीविकोपार्जन तथा विचार–स्वतंत्रता आदि से संबंधित अधिकारों की व्यवस्था आ जाती है। यह स्वतंत्रता नागरिक सभ्य व स्वतंत्र समाज के सदस्य होने के कारण मिलती है जैसे – जीवन की स्वतंत्रता, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस एवं प्रकाशन की स्वतंत्रता, समुदाय व संघ बनाने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रापूर्वक आने–जाने की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, सम्पति अर्जन धारण एवं व्यय की स्वतंत्रता, व्यवसाय,कारोबार एवं व्यापार की स्वतंत्रता इत्यादि। यह स्वतंत्रता निरपेक्ष व असीमित ही होती है।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता

इसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति के उन कार्यों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए, जिनका सम्बन्ध केवल उसके ही अस्तित्व से हो। मिल के अनुसार '' मानव समाज को केवल आत्मरक्षा के उद्देश्य से ही, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामुहिक रूप से हस्तक्षेप करने का अधिकार हो सकता है। अपने ऊपर, अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा पर व्यक्ति सम्प्रभु है। जिस क्षेत्र में व्यक्ति के प्रयासों से परिणाम से व पसंदगी की स्वतंत्रता होनी चाहिये, जैसे – खान–पान, वेशभूषा, रहन–सहन, परिवार , धर्म जैसे निजी अर्थात् व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्राप्ति होती है। इस सन्दर्भ में जे.एस.मिल निजी स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक रहे हैं।

राजनीतिक स्वतंत्रता

राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य उन अधिकारों से है जिनके द्वारा नागरिकों को अपने देश के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर मिलता है। गिलक्राइस्ट के अनुसार'' राजनीतिक स्वतंत्रता लोकतंत्र का ही दूसरा नाम है। राजनीतिक स्वतंत्रता वह है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को मतदान करने का अधिकार हो, चुनाव में खड़े होने का अधिकार हो, सार्वजनिक पद पर नियुक्ति पाने का अधिकार हो तथा शासन की नीति पर रचनात्मक आलोचना करने का अधिकार हो। लोकतंत्रीय व्यवस्था में नागरिक बिना किसी भेदभाव के राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग ले सकते हैं। यह एक प्रकार की ''राजनीतिक लोकतंत्र है। इस स्वतंत्रता में राज्य के नागरिक– 1. प्रतिनिधि चुनने का अधिकार रखते है। 2. किसी पद पर निर्वाचित होने की योग्यता रखता है। 3. पद पर बने रहने का अधिकारी होता है। 4. जागरूकता के माध्यम से सार्वजनिक हित के कार्य करवाना। लास्की ने राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए नागरिकों का शिक्षित होना तथा स्वतंत्र समाचार पत्रों का होना अनिवार्य है।

आर्थिक स्वतन्त्रता

आर्थिक स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि व्यक्ति की आर्थिक दशा ऐसी होनी चाहिए, जिसमें वह स्वाभिमान के साथ बगैर कष्ट के अपने जीवन और अपने कुटुम्ब के जीवन का निर्वाह कर सकता हो। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ है आर्थिक सुरक्षा। लास्की ने लिखा है कि ''आर्थिक स्वतंत्रता से तात्पर्य यह है कि प्रत्येक आदमी को इतनी सुरक्षा का अवसर हो कि वह अपने जीविकोपार्जन के सतत् भय से, जो व्यक्तित्व की अन्य शक्तियों को चाट जाता है, मुक्ति हो। आगामी कल की आवश्यकताओं के दानव से मेरी सुरक्षा होनी चाहिए।'' जी.डी.एच.कोल के शब्दो में, ''आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता कोरी कल्पना है।'' आर्थिक स्वतन्त्रता के माध्यम से मानव अपने आपको भय और अभाव से सुरक्षित समझता है। इससे बेरोजगारी, भुखमरी, अपर्याप्तता और आगे आने वाले कल की चिन्ता से मुक्ति दिलाती है। स्टालिन ने एक बार कहा था कि ''एक भूखे, बेरोजगार के लिए निजी स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है। सच्ची स्वतंत्रता वहीं सभंव है जहां शोषण, बेरोजगारी, भिखमंगी या कल की चिन्ता की समस्या नही है।'' आर्थिक असुरक्षा के बारे में लास्की का विचार है कि जो व्यवस्था भय पर आधारित होती है वह व्यक्ति की रचनात्मक शक्तियों के उपयोग के लिए घातक है, अतः वह स्वतन्त्रता की भावना से मेल नहीं खाती हैं।

धार्मिक स्वतंत्रता

धर्म का संबंध व्यक्ति के अन्तःकरण से होता है। किसी व्यक्ति को एक धर्म विशेष के पालन के लिए बाध्य करना स्वयं में एक अधार्मिक कार्य है। प्रत्येक मनुष्य को स्वेच्छानुसार किसी भी धर्म को स्वीकार करने उसका पालन करने, पूजा–अर्चना करने इत्यादि की स्वतंत्रता होनी चाहिए। राज्य को सभी धर्मों को समान मानना चाहिए, किसी विशेष धर्म के प्रति पक्षपात नहीं करना चाहिए। राज्य को धर्म निरपेक्ष होना चाहिए। धार्मिक स्वतन्त्रता को हम अन्तःकरण की स्वतन्त्रता भी कहते है। यह मानव को स्वेच्छा से किसी धर्म को मानने, उस पर आचरण करने और उसके प्रचार करने की स्वतन्त्रता देती है। इसमें धर्म के संस्कारों और रीतियों की स्वतन्त्रता शामिल है। धार्मिक स्वतन्त्रता धर्म निरपेक्ष राज्य की मांग करती है। धार्मिक स्वतन्त्रता निरपेक्ष नही होती है क्योंकि जब कभी धर्म सामाजिक उन्माद पैदा करता है या ऐसे संस्कारों को पनाह देता है जो हानिकारक होते है तो राज्य सार्वजनिक हित को दृष्टिगत रखते हुये धर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

राष्ट्रीय स्वतन्त्रता

राष्ट्रीय स्वाधीनता का अर्थ स्वराज अथवा स्वाधीनता से है। इस स्वतंत्रता का संबंध राष्ट्रीय आत्म–निर्णय के सिद्वान्त से है, जिसका अर्थ यह है कि प्रत्येक राज्य सामूहिक रूप से बाह्य तथा आन्तरिक मामलों के प्रबन्ध में पूर्ण स्वतंत्र हों, उस पर किसी बाहरी व्यक्ति का आधिपत्य अथवा नियंत्रण न हो। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मूल मन्तव्य है कि कोई राष्ट्र अपने जीवन तथा संस्कृति

का पूर्ण विकास तब तक नहीं कर सकता जब तक स्वतंत्र न हों। इसलिए एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र पर अपना आधिपत्य जमाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं हो सकता। वस्तुतः राष्ट्रीय स्वतंत्रता ही राजनीतिक स्वतंत्रता एवं नागरिक स्वतंत्रता का आधार होती है। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का अभिप्राय है बाहरी नियन्त्रण से राज्य को मुक्ति दिलाना। उपनिवेशवादी शक्तियों के विरूद्व चलाये गये राष्ट्रीय आन्दोलनों का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय स्वतन्त्रता को प्राप्त करना रहा हैं। सम्प्रभुता राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का मूल गुण है। भारतीय गणराज्य 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश उपनिदेशवाद से मुक्ति प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त हुई।

सामाजिक स्वतन्त्रता

सामाजिक स्वतन्त्रता में समाज में धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा या अन्य किसी प्रकार से व्यक्तियों में कोई भेद–भाव नहीं किया जाता है। इसका अभिप्राय है कि किसी भी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना अर्थात् सभी को विकास के समान अवसर प्राप्त हो, सभी को कानून के समक्ष समान समझा जायें और सभी को कानून का सम्मान संरक्षण प्रदान हो।

नैतिक स्वतन्त्रता

नैतिक स्वतंत्रता से तात्पर्य व्यक्ति की उस मानसिक स्थिति से होता है जिसमें वह अनुचित लोभ–लालच के बिना अपना सामाजिक जीवन व्यतीत करने की योग्यता रखता हो। नैतिक स्वतंत्रता से आशय है कि मनुष्य को अपने चरित्र और अपने मस्तिष्क का विकास करने के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। कान्ट ने इसे'' विवेकपूर्ण इच्छा की स्वायत्ता''कहा है। प्लेटो, अरस्तु, ग्रीन, बोसांके व काण्ट ने इस बात पर बल दिया है कि नैतिक स्वतंत्रता में ही मनुष्य का विकास सम्भव है। राजनीति विज्ञान में आदर्शवादी विचारकों में विशेष रूप से प्लेटो, अरस्तू, रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन और बोसांके का उदाहरण दे सकते हैं। इसमें व्यक्ति के औचित्यपूर्ण व्यवहार से है। जब व्यक्ति सद्गुणों से प्रभावित होकर कार्य करता है तो उस व्यक्ति को नैतिक रूप से स्वतन्त्र माना जाता है परन्तु जब वह स्वार्थ लोभ–क्रोध, घृणा आदि दुर्गुणों के वशीभूत होकर कार्य करता है तो उसे नैतिक दृष्टि से परतन्त्र माना जाता है।

आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक है –

राजनीतिक स्वतंत्रता

राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य राज्य के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेता है अर्थात् राजनीतिक स्वतंत्रता एक ऐसी स्थिति का नाम है, जिसमें नागरिकता के अधिकारों का उपयोग किया जा सके या दूसरे शब्दों में व्यक्ति अपने विवेकपूर्ण निर्णय का राजनीतिक क्षेत्र में उपयोग कर सके। उसे अपने प्रतिनिधियों को चुनने और स्वयं प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार होना चाहिए। इस प्रकार राजनीतिक स्वतंत्रता शासन कार्यों में भाग लेने और शासन व्यवस्था को प्रभावित करने की शक्ति का नाम है।

आर्थिक समानता

आर्थिक समानता के दो अर्थ बताए जा सकते हैं। इसका प्रथम तात्पर्य यह है कि सम्पति की अधिकाधिक समानता होनी चाहिए। सभी व्यक्तियों को भोजन, वस्त्र, निवास, स्वास्थ्य और शिक्षा की अनिवार्य आवश्यकताएं आवश्यक रूप से पूरी होनी चाहिए और जब तक सभी व्यक्तियों की अनिवार्य आवश्यकताएं संतुष्ट न हो जाएं, तब तक समाज के किसी भी व्यक्ति को आराम और विलासिता के साधनों के उपभोग का अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। लास्की के शब्दों में – ''मुझे स्वादिष्ट भोजन करने का अधिकार नहीं है, यदि मेरे पड़ोसी को मेरे इस अधिकार के कारण सूखी रोटी से वंचित रहना पड़े।'' आर्थिक समानता का दूसरा तात्पर्य'' उद्योग में प्रजातंत्र की स्थापना से है। एक श्रमिक केवल अपने क्षेत्र को बेचने वाला ही नहीं वरन् इसके साथ–साथ उत्पादन व्यवस्था का निर्णायक भी होना चाहिए।

राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता पर आधारित

प्रो. लास्की ने लिखा है कि ''राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता के बिना निरर्थक है क्योंकि राजनीतिक शक्ति आवश्यक रूप से आर्थिक शक्ति के हाथों में खिलवाड़ ही सिद्व होगी।'' यदि व्यक्ति को बहुत सारे राजनीतिक अधिकार, जैसे मत देने का अधिकार आदि प्रदान किए जाए किन्तु यदि उसे पेट भरने को रोटी न मिले तो सारे राजनीतिक अधिकार व्यर्थ होंगे। एक गरीब व्यक्ति का धर्म, ईमान और राजनीति सभी कुछ रोटी तक सीमित हो जाती है। राजनीतिक स्वतंत्रता मूल रूप से निम्न तीन अनिवार्य परिस्थितियों पर निर्भर करती है–

1. जनता में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति रूचि होनी चाहिए ताकि वह राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रूप से भाग लेने और शासन व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए उत्सुक हो।
2. व्यक्ति शिक्षित होने चाहिए ताकि वे स्वस्थ जनमत का निर्माण कर सकें और शासन की रचनात्मक आलोचना कर सके। शिक्षा की आवश्यकता इस कारण और भी अधिक हो जाती है कि केवल शिक्षा ही नागरिकों को उनके अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता प्रदान करती है।
3. राजनीतिक स्वतंत्रता के आदर्श को प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि व्यक्ति को सही सूचनाएं और विचार की जानकारी प्राप्त हों। इस कार्य को ठीक प्रकार से करने के लिए स्वस्थ और सबल प्रेस नितान्त आवश्यक है।

आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता कभी वास्तविक नहीं हो सकती है लास्की के अनुसार ''यदि राज्य सम्पति को अधीन नहीं रखता, तो सम्पति राज्य की वशीभूत कर लेती।'' लास्की ने भी कहा है कि ''आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता कभी भी वास्तविक नही हो सकती।'' कोल के अनुसार ''आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है।'' समाजवादी विचारक इसी बात पर बल देते है कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता व्यर्थ है। राजनीतिक स्वतंत्रता की उपलब्धि के लिए आर्थिक

सुरक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। आर्थिक विषमता को दूर किया जावे ताकि मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण न हो। प्रत्येक नागरिक अभाव, भुखमरी और बेकारी के भय से मुक्त हो ताकि राजनीतिक स्वतंत्रताओं का उपभोग कर सकें।

स्वतंत्रता के संरक्षण या दशाएं

स्वतंत्रता का संरक्षण परम आवश्यक है। स्वतंत्रता प्राप्त करना कठिन है परन्तु उससे भी कठिन कार्य स्वतंत्रता को बनाए रखना है। यह बस व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता दोनों के संबंध में पूर्णतया सत्य है। जो व्यक्ति अथवा राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता का ठीक से उपभोग नहीं कर पाते और उसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रयत्न नहीं करते, उनकी स्वतंत्रता को सदैव ही संकट बना रहता है–

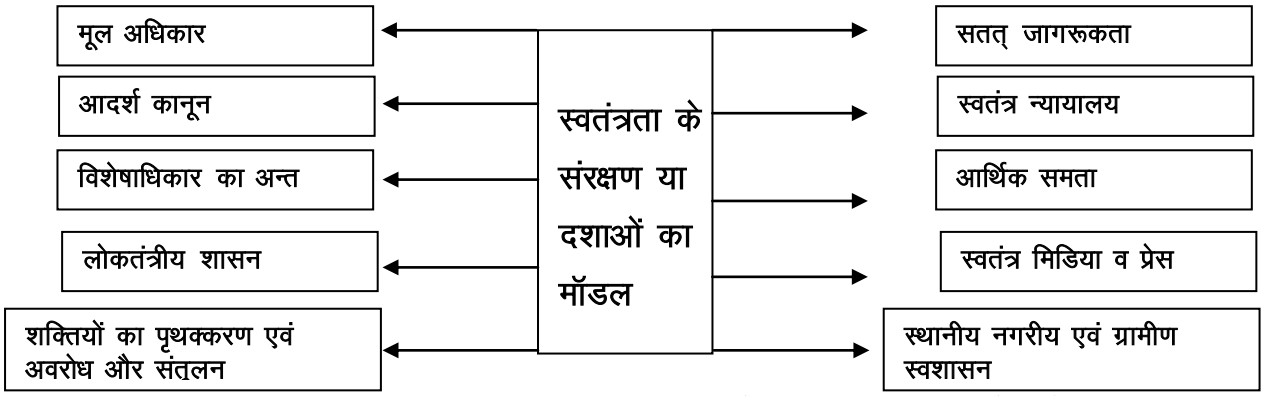

मूल अधिकार

स्वतंत्रता के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता इस बात की है कि नागरिकों के भौतिक अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या की जाये। अमेरिका, भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में संविधान में अधिकारों की व्याख्या की गई। मूल अधिकारों को संविधान में स्थान दिया जाये जिसमें उन्हें पूरा कानूनी संरक्षण प्राप्त हो सके। वस्तुतः स्वतंत्रता अधिकारों की उपज होती है और बिना अधिकारों के स्वतंत्रता नहीं हो सकती।

आदर्श कानून

व्यक्ति अपनी विविध स्वतंत्रताओं का उपयोग राज्य में रहकर ही कर सकता है और राज्य कानूनों के माध्यम से ही इस प्रकार की स्वतंत्रताओं की रक्षा करता हैं। माण्टेस्क्यू ने कहा है कि ''मुख्यतया स्वतंत्रता की रक्षा और हनन कानून के स्वभाव और इसके द्वारा दिए गए दण्ड की मात्रा पर निर्भर करती है।''

विशेषाधिकार का अन्त

लास्की के शब्दों में ''यदि समाज के किसी भाग को विशेषाधिकार दिये गये हों तो उस दशा में जन साधारण स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकता।'' विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग सदैव दूसरों की स्वतंत्रता का शोषण करता है अतः विशेषाधिकारों का अन्त नितान्त आवश्यक है।

लोकतंत्रीय शासन

राज्य में यदि लोकतंत्रीय शासन हो तो जनता का वह भय कुछ सीमा तक समाप्त हो जाता है। लोकतंत्र में जनता शामिल होने के साथ–साथ शासक भी होती है और शासन की अन्तिम सत्ता जनता में निहित होने के कारण स्वतंत्रता का हनन हो ही नहीं सकता। यहीं कारण है कि नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा और व्यक्तित्व के विकास हेतु लोकतंत्रात्मक शासन ही सर्वोच्च समझा जाता है।

शक्तियों का पृथक्करण एवं अवरोध और संतुलन

स्वतंत्रता का संरक्षण के लिए कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक होनी चाहिए। माण्टेस्क्यू ने शक्तियों के पृथक्करण का सिद्वान्त प्रस्तुत करते हुए उसे स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए आवश्यक बताया था। इसके साथ ही जहाँ तक व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का सम्बन्ध है, अवरोध और संतुलन के सिद्वान्त को अपनाते हुए इन दोनों के बीच गहरे सम्बन्ध की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिसमें स्वतंत्रता की रक्षा के हित में उचित प्रकार के कानूनों का निर्माण हो सके और ठीक प्रकार से उन्हें क्रियान्विति किया जा सके।

सतत् जागरूकता

स्वतंत्रता की रक्षा का सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपाय नागरिकों की सतत् जागरूकता ही है। कहावत भी है कि ''सतत् जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है।'' लास्की के अनुसार ''नागरिको की महान् भावना, न कि कानून की शब्दावली, स्वतंत्रता की वास्तविक सुरक्षा है। थॉमस जैफरसन '' कोई भी देश तब तक अपनी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकता जब तक कि समय–समय पर वहां की जनता अपनी विरोधी भावना का प्रदर्शन करके अपने शासकों को सजग ना करती हो।

स्वतंत्र न्यायालय

स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए। न्याय सर्वजन सुलभ और शीघ्र होना चाहिए और निर्धन व्यक्ति निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकें, ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के अभाव में स्वतंत्रता एक ढकोसला (एक दिखावा) मात्र बनकर रह जाती है।

आर्थिक समता

लास्की के अनुसार स्वतंत्रता के पोषण के लिए आवश्यक है कि नागरिकों की सामान्य आवश्यकताएं पूरी होती रहें। उन्हें भुख, बेकारी, रोग, अशिक्षा आदि के भय से छुटकारा मिलना चाहिए। जब तक व्यक्तियों के लिए

भोजन, वस्त्र और आवास की व्यवस्था नहीं हो पाती, तब तक कैसे सोचा जा सकता है कि वे स्वतंत्रता का उपभोग कर सकेंगे। समाज में धन का वितरण इतना विषम नहीं होना चाहिए कि कुछ व्यक्तियों के पास अपार धनराशि हो और बहुसंख्यक व्यक्ति भुखे पेट सोते हों।

स्वतंत्र मिडिया व प्रेस

यदि मिडिया व प्रेस स्वतंत्र है तो उसके द्वारा प्रशासन को मर्यादित रखने का कार्य किया जा सकता है, जनता में स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक वातावरण स्थापित करने का कार्य किया जा सकता है। स्वतंत्रता का सार मानवीय चेतना है और मानवीय चेतना के विकास का सर्वप्रमुख स्वतंत्र प्रेस ही है।

स्थानीय नगरीय एवं ग्रामीण स्वशासन

लास्की के विचारों में '' राज्य में सत्ता का जितना अधिक विस्तृत वितरण होगा, जितना विकेन्द्रीकृत उसकी प्रकृति होगी, मनुष्य में अपनी स्वतंत्रता के प्रति उतना ही अधिक उत्साह होगा।''

स्वतंत्र भारत में बताई गई स्वतंत्रता की सभी दशाएं लगभग परिलक्षित होती है। स्वतंत्रता का सत्ता एवं कानून से संबंध निम्न प्रकार से है –

स्वतंत्रता और सत्ता

गेटेल ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि ''बिना स्वतंत्रता के प्रभुसत्ता निरंकुश बन जाती है और बिना सत्ता के स्वतंत्रता अराजकता को जन्म देती है।'' होकिंग के अनुसार ''व्यक्ति जितनी अधिक स्वतंत्रता चाहता है उतना ही अधिक उसे सत्ता की अधीनता स्वीकार करने के लिए तत्पर होना चाहिए।'' लास्की के अनुसार '' स्वतंत्रता के पूर्ण उपयोग के लिए आवश्यक है कि सत्ता के दुरूपयोग को रोकने के लिए कुछ साधन हों। सबसे अच्छा साधन यही है कि शक्ति का व्यापक, वितरण हो, जिससे कोई व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह निरंकुश न बन सके।''

स्वतंत्रता और कानून

स्वतंत्रता और कानून के पारस्परिक संबंध के विषय पर राजनीतिक विचारकों में बहुत अधिक मतभेद है। एक और तो कुछ विद्वानों और विचारकों के अनुसार स्वतंत्रता और कानून को परस्पर विरोधी बताते हुए कहा गया है कि जितने अधिक कानून होंगे व्यक्तियों की स्वतंत्रता उतनी ही सीमित हो जायेगी। दूसरी ओर अनेक विचारकों द्वारा इस मत का प्रतिपादन किया गया है कि स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिए कानून की विद्यमानता नितान्त आवश्यक है और कानून व्यक्तियों की स्वतंत्रता में वृद्वि करते है, कमी नहीं। अतः दो परस्पर विरोधी मत प्रचलित है–

कानून स्वतंत्रता में बाधक है

प्रथम मत यह है कि कानून स्वतंत्रता में बाधक होता है। कुछ लोग ऐसा मानते है कि जहां कानून अधिक होते हैं वहां स्वतंत्रता सीमित बन जाती है। 18 वीं शताब्दी के अनेक लेखक कानून को राज सत्ता या शक्ति के प्रतीक के रूप में देखते आये है और व्यक्तिवादी जो स्वतंत्रता की अधिकतम प्राप्ति हेतु यहां तक कह बैठे हैं कि ''वह सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है।'' अराजकतावादी, व्यक्तिवादी और कुछ सीमा साम्यवादी विचारधारा द्वारा दोनों को विरोधी मत कहा।जहां अराजकतावादियों के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्तियों की अपनी इच्छानुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है और राज्य के कानून शक्ति पर आधारित होने के कारण व्यक्तियों के इच्छानुसार कार्य करने में बाधक होते है, अतः स्वतंत्रता और कानून परस्पर विरोधी है। विलियम गाडविन के अनुसार ''कानून सबसे अधिक घातक प्रकृति की संस्था है।'' वहीं डायसी के अनुसार ''एक ही मात्रा जितनी अधिक होगी, दूसरे की उतनी ही कम हो जायेगी।''

कानून स्वतंत्रता में साधक है

कानून स्वतंत्रता को सीमित नहीं करते अपितु स्वतंत्रता की रक्षा करते है और उसमें वृद्धि करते है। लॉक के शब्दों में '' जहा कानून नही होता, वहां स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती है।'' विलोबी के शब्दों में ''जहां नियंत्रण होते है, वहीं स्वतंत्रता का अस्तित्व होता है।'' प्रो. रिची ने कहा है कि ''व्यक्तित्व के विकास के यथार्थ अवसर के रूप में स्वतंत्रता कानून की उत्पत्ति अथवा परिणाम ही हैं। वह कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जिसका अस्तित्व राज्य के कार्य क्षेत्र से बाहर है।'' हॉकिंग के अनुसार ''व्यक्ति जितनी अधिक स्वतंत्रता चाहता है, उतनी अधिक सीमा तक उसे शासन की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए।'' कानून निम्नलिखित तीन प्रकार से व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने और उसमें वृद्वि करते है–

1. राज्य के कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता अन्य व्यक्तियों के हस्तक्षेप से रक्षा करते है।
2. कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता की राज्य के हस्तक्षेप से रक्षा करते है।
3. स्वतंत्रता के नकारात्मक स्वरूप के अतिरिक्त इसका एक सकारात्मक स्वरूप भी होता है।

स्वतंत्र भारत में संविधान में दिये गये स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद

भारतीय संविधान के भाग III में अनुच्छेद 12 से 30 तथा 32 से 35 तक नागरिकों के लिये मूल अधिकारों की व्यवस्था की गयी हैं। प्रारम्भ में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किये गये थे परन्तु 44वें संविधान संशोधन (1979) द्वारा सम्पत्ति के अधिकार को सूचि से निकाल दिया गया। अब सम्पत्ति का अधिकार केवल कानूनी अधिकार हैं। वर्तमान में भारतीय नागरिको को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है– 1. समानता का अधिकार , 2. स्वतंत्रता का अधिकार, 3. शोषण के विरूद्व अधिकार, 4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 5. संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, 6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार।

समानता का अधिकार

भारतीय संविधान में समानता के अधिकार में विधि के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14), धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिशेध (अनुच्छेद 15), लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता (अनुच्छेद 16), अस्पृश्यता का अंत (अनुच्छेद 17), उपाधियों का अंत (अनुच्छेद 18) है।

स्वंतत्रता का अधिकार

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। प्रारम्भ

में भारतीय नागरिकों को सात प्रकार के स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार प्रदान कियें गये थे परन्तु संविधान के 44वें संशोधन द्वारा सम्पत्ति के मौलिक अधिकार को निरस्त किया गया तभी से सम्पत्ति की स्वतंत्रता को भी समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को छः प्रकार की स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त है । समानता का अधिकार नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को उपलब्ध है परन्तु स्वतंत्रता के अधिकार भारतीय नागरिकों को ही प्रदान किये गये है।

स्वतंत्रता के अधिकार(अनुच्छेद 19 (1) के तहत) –

भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को दी गई है परन्तु यह असिमित और अमर्यादित रूप से प्राप्त नहीं है।

शान्तिपूर्ण और अस्त्र–शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता

नागरिकों को शान्तिपूर्वक सम्मिलित होने, जुलुस निकालने या प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता है परन्तु सार्वजनिक सुरक्षा की दृष्टि में रखते हुए इस स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है।

संघ बनाने की स्वतंत्रता

भारतीय नागरिकों को समुदाय व संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है परन्तु षड़यंत्रकारी या विध्वंसात्मक कार्यवाही से संबंधित समुदाय या संघ बनाने की मनाही है।

भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण (भ्रमण) की स्वतंत्रता

भारतीय नागरिकों को बिना किसी प्रतिबन्ध या अधिकार पत्र के सम्पूर्ण भारत में भ्रमण कर सकते है। जनसामान्य के हित तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के हित में इस स्वतंत्रता पर भी उचित मर्यादाएं लगाई जा सकती है।

भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध निर्वास की स्वतंत्रता

भारतीय नागरिकों को भारत के किसी भी क्षेत्र में जम्मू तथा कश्मीर को छोड़कर स्थायी या अस्थायी तौर पर बसने की स्वतंत्रता है। यह स्वतंत्रता भी सार्वजनिक हित में प्रतिबंधित की जा सकती है।

वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता

भारतीय नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय या व्यापार या आजीविका के साधन चुनने का अधिकार है। किसी कारोबार या उद्योग को आंशिक रूप से या संपूर्ण रूप से राज्य अपने हाथों में ले सकता है।

अपराधो में गिरफ्तार के लिये दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण

अनुच्छेद 20 के तहत किसी भी व्यक्ति को तभी दण्डित किया जा सकता है जब वह – (अ) किसी विद्यमान कानून का उल्लंघन करता हो , (ब) किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिये एक बार से अधिक दण्डित नहीं किया जा सकता एवं (स) व्यक्ति को अपने विरूद्ध साक्षी होने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता।

प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण

अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जायेगा या नहीं । संविधान के 44वें संशोधन द्वारा इस अधिकार को और अधिक बल प्रदान किया गया। अब आपातकाल में भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता। शिक्षा का अधिकार – अनुच्छेद 21 ए के अनुसार राज्य के द्वारा प्रत्येक 6 से 14 वर्ष तक के बालक–बालिकाओं को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जायेगी। यह अधिकार इस अनुच्छेद में इस लिये जोड़ा गया कि यह आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जायेगा।

कुछ दशाओं में गिरफ्तारी या निरोध से संरक्षण

अनुच्छेद 22 द्वारा नागरिकों को मनमानी गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की गई है। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो (क) बन्दी बनाये जाने के कारणों को यथाशीघ्र बताया जाय, उच्चतम न्यायालय के अनुसार गिरफ्तारी के पांच दिन के भीतर व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बता दिया जाना चाहिए। (ख) बन्दी किये गये व्यक्ति को वकील से परामर्श लेने का अधिकार है, सफाई देने तथा याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार है। (ग) बन्दी बनाये जाने के 24 घण्टे के अन्दर उसे निकटतम न्यायाधीश के सामने उपस्थित किया जाना चाहिए इसमें बन्दीगृह से न्यायालय तक जाने का समय शामिल नहीं हैं। ये सुविधाएं उन अपराधियों पर लागू नहीं होती जो देश के शत्रु से संबंधित हो या निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत बन्दी बनाये गये हो। अनुच्छेद 22 (4) द्वारा निवारक निरोध की व्यवस्था की गई है।

शोषण के विरूद्ध अधिकार

भारतीय संविधान में शोषण के विरूद्व अधिकार में बेगार या जबरदस्ती के श्रम का निषेध (अनुच्छेद 23), बाल श्रम का निषेध (अनुच्छेद 24) हैं।

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अन्तःकरण की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25), धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 26), धर्म की अभिवृद्धि के लिये करों में छूट (अनुच्छेद 27), शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की मनाही (अनुच्छेद 28) है।

संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार

भारतीय संविधान में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण (अनुच्छेद 29), अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार (अनुच्छेद 30) है।

सांवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

मौलिक अधिकारों के इस भाग को डॉ. अम्बेडकर ने ''संविधान की आत्मा व हृदय'' कहा है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान द्वारा बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिशेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार पृच्छा लेख जारी किये गये हैं।

भारतीय स्वतंत्रता की वास्तविक एवं वर्तमान स्थिति

विविधता में एकता भारत की पहचान रही है। दुनिया की सबसे तेज विकास दर 7 प्रतिशत के करीब हमारी ताकत है। हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन व पारसी धर्मावलंबी यहां सदियों से साथ रह रहे है। 122 भाषायें ऐसी है जिन्हें 10 हजार से ज्यादा लोग बोलते हैं। दुनिया में ऐसी विविधता कहीं नहीं है। भारत का धार्मिक

हिंसा में दुनिया में चौथा स्थान है। पहला सीरिया दुसरा नाइजीरिया और तीसरा इराक के बाद भारत है। ''प्यू रिसर्च सेंटर'' की और से 198 देशों के मिले आंकड़ों के विश्लेषण में यह कलंक हमारे देश के नाम लगा। इसमें 2015 की घटनाओं को आधार माना गया। धर्म और जाति पर आधारित हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। देश में सात साल में धर्म से जुड़ी हिंसा की साढे चार हजार घटनाएं इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। 4465 धार्मिक हिंसा की वारदात केवल 2011 से मई 2017 के बीच हुई अर्थात् प्रत्येक माह औसतन 57 वारदातें हुई। इनमें से 80 प्रतिशत वारदातें हुई आठ राज्यों बिहार, गुजरात, कनार्टक, केरल,म.प्र., महाराष्ट्र, राजस्थान तथा यूपी में।

कब कितनी घटनाएं हुई का चार्ट

वर्ष	वारदात	
2011	580	2014 से 2017 (मई तक) दंगो में 322 लोगों की मौत हुई ,7398 लोग घायल हुए। 95 मौतें 2014 में हुई व 86 मौते 2016 में हुई।
2012	668	
2013	823	
2014	644	
2015	751	
2016	703	
2017	296 (मई 2017 तक)	

2017 में सबसे ज्यादा 52 प्रतिशत गोहिंसा से जुड़ी घटनाएं अफवाहों के कारण हुई। 2017 में 37 घटनाएं की रिपोर्ट दर्ज हुई। 2010 के बाद से यह सबसे ज्यादा है। 11 लोगों की मौत हुई इन घटनाओं के कारण। 2010 से 2017 तक 78 वारदातें हुई इनमें 28 लोगों की जान गई तथा 273 लोग घटना का शिकार हुए।

एस.सी. के खिलाफ अपराध

2016 ई. में एस.सी. के खिलाफ अपराध में यूपी सबसे आगे, 10426 केस दर्ज, यह कुल दर्ज मामलों का 25.6 फीसदी है। 5701 केस के साथ बिहार दूसरे नंबर पर यहाँ कुल मामलों के 14 प्रतिशत केस दर्ज है। 5134 केस के साथ राजस्थान तीसरे नंबर पर 2016 ई. में रहा।

एस.टी. के खिलाफ अपराध

2016 ई. में अनूसूचित जनजाति के खिलाफ दर्ज मामलों में म.प्र. अव्वल रहा, यहां 1823 केस दर्ज, कुल मामलों का 27.8 प्रतिशत है, 1195 केसों के साथ राजस्थान दूसरे नंबर पर कुल मामलों का 18.2 प्रतिशत यहां दर्ज हुए तथा 681 केसों के साथ ओडिशा तीसरे नंबर पर यहां कुल मामलो के 10.4 प्रतिशत केस दर्ज हुए।

धार्मिक विभाजन की कोशिशें – कठुआ गैंगरेप

आठ साल की बच्ची का अपहरण कर गैंगरेप किया। धार्मिक स्थल में दरिंदगी की गई व फिर हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले को धार्मिक रेप देकर सियासत शुरू हुई। बात जीडीपी–भाजपा में दरार तक पंहुच गई। आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू हुई तो वहां प्रदर्शन होने लगा।

भडकाऊ वीडियों

राजसमंद (राजस्थान) में मुस्लिम श्रमिक पर हमला और जिंदा जलाने का वीडियो तथा वैमनस्य फैलाने वाले बोल वायरल किया गया। घटना दिसम्बर 2017 की है उस समय गुजरात चुनाव थे, लव जिहाद का मामला गर्म था। वीडियो के जरिये लव जिहाद का विरोध बताकर राजनीति की गई।

फिजां में जहर

2017 में नाहरगढ़ किले में शव लटका मिला। 35 जगह दो समुदायों में जहर घोलने वाले नारे लिखे गये। यह घटना नवम्बर 2017 की है। फिल्म पद्मावती का विरोध उस वक्त चरम पर था। इससे दो समुदायों में जहर घुल गया।

जातीय विभाजन की साजिशें

एस.सी. एक्ट

एस.सी.–एस.टी. एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट के जांच के बाद गिरफ्तारी करने संबंधी फैसले बाद भारी हिंसा हुई। दलित संगठनों के भारत बंद के बाद समाज जैसे दो फाड़ हुआ। इससे भिन्न होकर जयपुर में एक युवक ने आत्मदाह कर लिया। आरक्षण तक का सवाल उठा।

पद्मावत विवाद

फिल्म पद्मावत के विरोध में करणी सेना व अन्य हिंदू संगठनों ने देशभर में विरोध प्रदर्शन किए। इस फिल्म के बहाने एक विशेष वर्ग को अपनी ताकत दिखाने का जैसे मौका मिल गया। कई सरकारें उनके आगे झुकी। फिल्म की रिलीज टालनी पड़ी।

कोरेगांव हिंसा

200 साल पुराने युद्ध पर महाराष्ट्र में संग्राम हुआ। प्रत्येक बार शांतिपूर्ण आयोजन होता था। एक जनवरी 2018 को बवाल हुआ। दलित व मराठा समुदाय में खाई पैदा करने की कोशिश की गई। सबने सियासत साधी। कांग्रेस ने संघ व भाजपा पर आरोप मढ़े तो एनसीपी ने दक्षिणपंथी संगठनों पर।

गोविन्दाचार्य (दक्षिणपंथी चिंतक)

बड़े–बड़े दावे करने वाले नेता कालांतर में खुद जातियों के नेता बन गए और वोट के लोभ में समाज का नुकसान कर रहे है। अपनी जाति के प्रति अभिमान व दूसरी जातियों के प्रति सम्मान, यह भारत की सोच है। जिन जातियों का राजनीतिकरण हुआ, उन जातियों के ठेकेदारों में आर्थिक है। नियत व सामाजिक रूतबे को बढ़ा लिया, उन जातियों के लोग वहीं रह गए।

अनिल चामड़िया

(पत्रकार दलित चेतना के मुखर वक्ता)– (वर्चस्व रखने वाला थोपता है टकराव) ''जब निचले पायदान पर रखी जाने वाली जातियों ने विरोध अवसर मांगा तो इसे जातिवाद को बढ़ावा देने व राष्ट्र के विकास के विरूद्ध बताया जाता रहा। समाज को बनाने की जिम्मेदारी हमेशा समाज के उस हिस्से की होती है जो सत्तासीन है। उसे भी भारतीय समाज के संदर्भ में उन सबके लिए हिस्सेदारी की जगह बनानी है जो सता संचालन की भूमिका से बाहर है। सामाजिक उत्पीडन की जो घटनाएं हम सदियों से अब तक देखते आ रहें।''

निष्कर्ष

भारतीय स्वतंत्रता से पूर्व की घटनाएं जैसे नींव के पत्थर तो नींव में ही दबे रह गये – आज हमने सबसे

पहले राष्ट्रवादी भावना एवं स्वतंत्र सैनानियों को ही भूला दिया है। आज हमें देखना है कि जिन आदर्शो को लेकर हमारे महान् स्वतन्त्र सैनानियों एवं नेताओं ने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण त्याग दिये, क्या उन आदर्शों की रक्षा हो पायी है ? स्वतन्त्रता के पश्चात् भी भारत अनेक समस्याओं से ग्रस्त है जैसे – गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, अवसरवादी राजनीति, निरक्षरता, लालफीताशाही, भ्रष्टाचार, अलगाववाद, आतंकवाद, जातिवाद, साम्प्रदायवाद, भाषावाद, महिला अत्याचार, क्षेत्रीयवाद, विदेशी दुष्प्रचार एवं विदेश द्वारा अपराधियों को सहयोग देना इत्यादि प्रमुख समस्याएं रही है। इसके कारण हमने आपसी सहयोग समन्वय, भाईचारे इत्यादि को खोया है। आज गरीब अधिक गरीब हुआ है और अमीरो ने गरीबो की गरीबी का लाभ उठाकर और अमीर हुए हैं। जहाँ हमने महात्मा गांधी, श्रीमती इन्दिरा गांधी , श्री राजीव गांधी जैसे नेताओं की हत्या का दुःख झेला है, वहीं हमें आन्तरिक एवं बाहरी दबावों के सामने झुकना पडा है। जहाँ विश्व स्तर पर आतंकवाद, मानवाधिकारों का हनन, पर्यावरण प्रदूषण, श्रम निर्धारण, नवीन अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, समुद्री सम्पदा का दोहन, क्षेत्रीय गुटो का निर्माण, सुरक्षा परिषद का विस्तार, विश्व बैंक की दोगली नीतियाँ, निःशस्त्रीकरण के असफल प्रयास, बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ की शोषणकारी नीतियां इत्यादि घटनाओं के सामने भारत को जुझना पड़ रहा है। वहीं भारत की जनसंख्या वृद्वि एवं क्षेत्रफल की विविधता को बनाये रखने से भी जुझना पड़ रहा है। भारत की आन्तरिक स्थिति बहुत नाजुक है क्योंकि इसकी भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, जातीय, क्षेत्रीय, सम्प्रदाय,विचार, भाषा, रहन–सहन एवं वेशभूषा में विभिन्नता बनी हुई है फिर भी भारत की एकता और अखण्डता बनी हुई है और रहेगी। इसका सबसे बड़ा कारण भारत सदैव एक शांतिप्रिय देश रहा है और वसुदैव कुटुम्बकम और सर्वेभवन्तु सुखिन की भावना रही है। इस सन्दर्भ में चाणक्य ने यह वाक्य सही कहा है कि ''बहुत से छोटे प्राणि मिलकर भी शत्रु को परास्त कर देते है, तिनकों का ढेर मूसलादार वर्षा की जलाधार को भी रोक सकते है।''

भारतीय स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत में थ्री डी को लान्च किया गया अर्थात् डेमोक्रसी, डवलपमेंट एण्ड डीसेंन्टरलाईजेशन इनका तात्पर्य है कि भारत एक लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण देश है। जिसमें विकास पर बल दिया गया है। भारत में संविधान निर्माण का कार्य हुआ, जो कि विश्व का सर्वाधिक विस्तृत, निर्मित, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष संविधान बना। भारत स्वतंत्र होने के पश्चात आज तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा निर्वाचित सरकारों ने सतत् रूप से कार्य किया, जबकि वहीं भारत से विभाजित हुए पाकिस्तान में अनेक लोकतांत्रिक सरकारों को हटाकर वहाँ पर सैनिक जनरलों ने सत्ता को हतिया लिया मुर्शरफ भी एक इसी के उदाहरण रहे है। इस मामले में भारत भाग्यशाली रहा है क्योंकि भारत में किसी भी सेना प्रमुख ने इस तरह की हरकत नहीं की, इससे साबित होता है कि भारत की लोकतांत्रिक जड़े बहुत गहरी है 1971 में पाकिस्तान का विभाजन होकर एक अलग देश बंग्लादेश के रूप में विश्व मानचित्र पर उभरा। यहाँ कन्फ्यूशियस की टिप्पणी पाकिस्तान के लिए सही बैठती है कि ''अन्यायपूर्ण शासन शेर से भी ज्यादा डरावना होता हैं।'' वहीं भारत अभी भी अखण्ड है और सदैव अखण्ड बना रहेगा। भारत की एकता को खतरा डालने वालों की संख्या भी कम नहीं, परन्तु भारत की लोकतांत्रिक , धर्म निरपेक्ष व्यवस्था के सामने सभी विरोधी इच्छाएं धुमिल हो जाती है। इस सन्दर्भ में स्व. डॉ. राधाकृष्णन् ने एक बार कहा था कि ''हमारे शत्रु हमसे दूर नहीं, हममें और हमारे में से ही है, यदि देश की एकता और अखण्डता को बनाए रखना है तो हमें स्वंय को सुधारना होगा, तभी देश सुधरेगा।'' यह वाक्य गुजरात दंगे, कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा फैलाया गया आतंक, नक्सलवादियों द्वारा किये गये हत्याकांड, उतरी–पूर्वी राज्य की अलगाववादी भावना में सही लगती है। फिर भी भारत की स्वतन्त्रता के पश्चात् व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता, समानता, सुख, शान्ति, समृद्वि, स्वास्थ्य, शिक्षा में वृद्वि हुई है। भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के विकास के साथ में तकनीकी, प्रौद्योगिक, संचार साधनों का विस्तार, ई–मेल, ई–गर्वनेंस, सुपर कम्प्यूटर, परमाणु बम, उन्नत किस्म के प्रक्षेपास्त्र इत्यादि प्राप्त करने एवं बनाने में सफलता प्राप्त की है। इसलिए पूर्व प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी जी ने जय जवान, जय किसान के आगे जय विज्ञान के नारे का उद्घोष किया है। आज भारत में शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, यहां पर अमेरिका की तुलना में अधिक स्नातक एवं स्नातकोतर हैं , यहां की शिक्षा का स्तर ऊंचा है। बताई गई समस्याओं का हल कर लिया जायें, तो भारत पुनः सोने की चिड़िया बनने में समय नही लगेगा, इसके लिए हम सबको मिलकर सम्मिलित प्रयास करने होगें। इसमें प्रत्येक व्यक्ति, परिवार, समाज, ग्राम, राज्य सरकारें, केन्द्र सरकार, स्वंयसेवी संगठनों का सहयोग आवश्यक एवं अपेक्षित हैं। स्वतन्त्रता पश्चात भारत ने क्या खोया? क्या पाया? के संदर्भ में विचार प्रकट किया गया है जैसा कि कहा भी जाता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है? जैसे भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए भारत को अपना विभाजन सहन करना पड़ा और इससे स्वतन्त्र भारत और पाकिस्तान विश्व के मानचित्र में उभरें। जहाँ ब्रिटिश नीति फुट डालो और राज करो थी। वहीं स्वतन्त्र भारत में कुछ अवसरवादियों की नीति स्वंय खाओ और साथियों को भी खाने दो की रही है। इसी सन्दर्भ में आज ''चन्द अवसरवादी कंगुरे बन बैठ गये''। ऐसी व्यवस्था को तभी सुधारा जा सकता है जब प्रत्येक भारतीय व्यक्ति शिक्षित एवं जागरूक हो जायेगा और जातीय, धार्मिक, क्षैत्रीय, भाषीय इत्यादि के आधार पर वोटिंग न करके योग्य शिक्षित, प्रशिक्षित एवं विकास करने वाले को अपना प्रतिनिधी चुनेगा तभी भारत की स्वतंत्रता सार्थक होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *एच. लास्की – ग्रामर ऑफ पालिटिक्स, पृ. 143*
2. *पी.के.चड्ढा – ''राजनीति शास्त्र के सिद्धान्त'' आदर्श प्रकाशन, जयपुर, पृ. 202*
3. *डॉ. नन्दिनी उप्रेती – राजनीति विज्ञान के मूल आधार'' राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, प्रथम संस्करण 2003, पृ. 71*

4. *डॉ. गीता चतुर्वेदी – भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, पंचशील प्रकाशन जयपुर, प्रथम संस्करण 2001, पृ. 84–94*
5. *अगस्त 2017 में लोकसभा में पेश रिपोर्ट, इंडिया स्पेंड)– राजस्थान पत्रिका, रविवारीय अंक– नागौर संस्करण 15 अप्रेल 2018 (गर्व अपनी विविधता पर)*
6. *गृह मंत्रालय और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, राजस्थान पत्रिका, रविवारीय नागौर संस्करण*
7. *राजस्थान पत्रिका रविवारी अंक नागौर संस्करण 15 अप्रेल 2018*